कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

श्री अमरा — विपक्षी सरकार

मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम — प्रकरण संख्या 42/2025

	कार्यवाही विवरण	

–::निर्णय::–

दिनांक 23/06/25

उपस्थितः– श्री डुंगरलाल मीणा अधवक्ता–प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा परोडा पटवार हल्का ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर मे प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसकी खाता संख्या 132 आराजी नम्बर 270/0.200, 274/0.120, 514/0.070, 521/0.070, 523/0.040 कुल किता 05 रकबा 0.500 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि का सीमांकन नहीं होने की वजह से प्रार्थी व पडौसी खातेदारो के बीच सीमा को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपने खेता में पक्की कोट या बाड भी नही कर सक रहा है। पडौसियों की भूमि प्रार्थी के पास में आ जाने की वजह से वह जानबुझकर प्रार्थी को परेशान कर रहे है और उनकी भूमि की बाड कोट को तोडकर खेत में अपने मवेशी घुसा देते है जिससे प्रार्थी की बोई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थी को भारी नुकसान उठाना पडता है। प्रार्थना पत्र कारण अन्तिम बार दिनांक 01–06–2025 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमति से सीमांकन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थी के खेता की बाड–कोट तोडने लगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी के आराजीयात पर पत्थरगढी का निर्णय पारित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी का आदेश फरमावे जाने का निवेदन किया। विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री अमरा | विपक्षी सरकार
कस्म मुकदमा धारा– 128 भू–राजस्व अधिनियम | प्रकरण संख्या 42/2025

	कार्यवाही विवरण
	–:आदेशः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा परोडा पटवार हल्का ईन्टालीखेडा तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 132 आराजी नम्बर 270/0.200, 274/0.120, 514/0.070, 521/0.070, 523/0.040 कुल किता 05 रकबा 0.500 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलूम्बर के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय दिनांक 23/06/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर